* ओ३म् *

आर्य समाज के नियम और उपनियम

सम्पादक का निवेदन

—:o:—

बहुत खोज और विचार करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि महर्षि दयानन्द ने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना बम्बई में नहीं, अपितु राजकोट में की थी। महर्षि के राजकोट में प्रचार आदि का विवरण लिखते हुए, श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत "महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र" पृष्ठ ३१८ व ३१९ में लिखा है:—

"स्वामी जी ने यह प्रस्ताव किया कि राजकोट में आर्य समाज स्थापित किया जाय और प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में परिणत कर दिया जाये। प्रार्थना समाज के सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हो गये। वेद के निर्भ्रान्त होने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। स्वामी जी के दीप्तिमय शरीर और तेजस्विनी वाणी का लोगों पर अयस्कान्त (चुम्बक) जैसा प्रभाव पड़ता था। वह सबको नतमस्तक कर देता था। आर्य समाज स्थापित हो गया। मणिशंकर जटाशंकर और उनकी अनुपस्थिति में उत्तमराम निर्भयराम प्रधान का कार्य करने के लिये और गोविन्ददास द्वारिकादास और नगीनदास व्रजभूषणदास मन्त्री का कर्त्तव्य पालन करने के लिये नियत हुए।"

आगे पृष्ठ ३१९ पर ही लिखते हैं:—

"स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम बनाये, जो मुद्रित कर लिये गये। इनकी तीन सौ प्रतियाँ तो स्वामी जी ने अहमदाबाद और बम्बई में वितरण करने के लिये स्वयं रखलीं और शेष प्रतियां राजकोट और अन्य स्थानों में बांटने के लिये रखली गईं, जो राजकोट में बांट दी गईं। उस समय स्वामी जी की यह सम्मति थी कि प्रधान आर्य समाज अहमदाबाद और बम्बई में रहें। आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन प्रति आदित्यवार को होने निश्चित हुए।"

पृष्ठ ३२० पर फिर लिखते हैं:—

"राजकोट का आर्य समाज ही वास्तव में भारत वर्ष का सब से पहला आर्य समाज था। आर्यसमाज राजकोट का काम ५—६ मास तक चलता रहा; परन्तु फिर एक अप्रत्याशित कारण से उस का कार्य बन्द हो गया। वह विशृंखला यह थी कि उस समय बड़ौदा के महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ की राज्यच्युति पर घोर आन्दोलन हो रहा था। धनी, दरिद्र, पण्डित, मूर्ख सभी का चित्त उस समय आलोडित हो रहा था। और हर जगह उसीका चर्चा था।"

इसी ग्रंथ में आगे पृष्ठ ३२० तथा ३२१ पर अंग्रेजों के उस दमन-चक्र का विवरण प्रकाशित किया गया है, जिसका आर्य समाज राजकोट के पदाधिकारियों को सामना करना पड़ा था और जिसके कारण उस समय आर्य समाज राजकोट बन्द हो गया था।

पृष्ठ ३२१ पर ही लिखते हैं:—

"राजकोट में स्वामी जी का फोटो लिया गया था। और, आर्यसमाज के सदस्यों ने कड़े चाव से उसकी प्रतियां ली थीं"

धर्मवीर श्री पण्डित लेखराम जी आर्य मुसाफिर ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'जीवन-चरित्र महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती' में पृष्ठ २३२ से २३४ तक विस्तार पूर्वक राजकोट के प्रचारादि का वृत्तान्त लिखा है। और यह भी लिखा है कि स्वामी जी राजकोट में २५ दिन तक रहे थे। परन्तु आर्य समाज की स्थापना तथा नियम आदि बनाने का उसमें कुछ भी

उल्लेख नहीं है। इससे यही समझना चाहिये कि राजकोट में प्रथम आर्य समाज की स्थापना का वृत्तान्त श्री पंडित लेखराम जी को ज्ञात न हो सका था।

गुजरात और काठियावाड़ के राजकोट आदि नगरों में प्रचार आदि के लिये जाने से पहले बम्बई में महर्षि के प्रचारादि का वर्णन करते हुए श्री पंडित लेखराम जी अपने ग्रन्थ के पृष्ठ २३१ पर लिखते हैं:—

"स्वामी जी के चले जाने पर फिर इस उत्तम धर्म कार्य यानी सत्योपदेश को चलाना मुश्किल होगा, इस कारण एक आर्य समाज कायम हो जाना चाहिये। इस किस्म का ख्याल कई एक धर्म जिज्ञासु गृहस्थ लोगों को हुआ।"

"इस ख्याल को सुनकर स्वामी जी को यहां बुलाने के लिये, जिन्होंने ज्यादा हिस्सा लिया था, वह लोग नाराज़ हो गये। क्योंकि उन लोगों का हेतु यह था कि स्वामी जी के द्वारा किसी खास मत [वल्लभमत] का खण्डन करा के, उसके बहुत से अनुयाइयों को अपनी तरफ करके, स्वामी जी के बाद, उन लोगों को अपना शिष्य बना के, उन्हें कथा श्रवण करने के लिये आने का उपदेश करना। (ये पौराणिक पंडित लोग नवीन वेदान्ति थे।) दूसरे वैसे ही जो लोग वेद को नहीं मानते थे और स्वामी के सहायक थे, यानी ब्रह्म समाजी व प्रार्थना समाजी, वे लोग भी इस बात से खुश नहीं हुए। क्योंकि उन लोगों को यह निश्चय था कि स्वामी जी को चाहने वालों में से बहुत-सा हिस्सा हमारी समाज में शामिल होगा।"

आगे लिखते हैं:—

"इस तरह जब बाज़-बाज़ धर्म जिज्ञासुओं को इन दोनों का यह दिली मनशा मालूम हुआ कि ये लोग ऊपर से सत्यशोधक (तालिबाने हक) और अन्दर से सख्त खुदगर्ज हैं, तब उनको आर्य समाज स्थापन करने की ख़ाहिश बहुत बढ़ गई। और आखिरकार समाज कायम करने पर वह आमादा हो गये। जिसका नतीजा यह हुआ कि सम्वत् १९३१ वि० के मग्घर बदी एकम से सात, मुताबिक २४ से ३० नवम्बर सन् १८७४ ई० तक में कई एक पुरुषों ने उस महापण्डित [महर्षि दयानन्द] को समझा के उनके सामने साठ साहिबों ने दस्तख़त करके आर्य समाज चलाने का निश्चय किया और स्वामी जी ने हिन्दी भाषा में उसके नियम भी रच दिये और उसमें वक़्तन फवक्तन [समय-समय पर] धर्म उपदेश करना अपने ज़िम्मे लिया। मगर उनमें से कई एक साहिबान पर बरादरी की तरफ से ख़ारजी [बाह्य] तौर पर दबाव डाले गये और कई एक साहिबों ने अपनी अमीरी के कसरेशान समझा और चन्द साहिबों के दोस्तों और रिश्तेदारों में झगड़े होने लगे और अन्त को उस महापण्डित [महर्षि] पर लोग नाना प्रकार के कपोल कल्पित झूठे दोष भी लगाने लगे कि वह ईसाई हैं। अंग्रेजों का नौकर है। म्लेच्छ है। वगैरा कि जिस से महाराज जी से उनकी श्रद्धा उठ जाये।"

राजकोट आदि स्थानों की यात्रा से लौटकर २९ जनवरी सन् १९७५ ई० तदानुसार माघ बदी अष्टमी सम्वत् १९३१ वि० को महर्षि दूसरी बार बम्बई पधारे थे। महर्षि के बम्बई में पुनरागमन का वर्णन करते हुए श्री पण्डित लेखराम जी अपने उक्त ग्रन्थ में पृष्ठ २३४ पर लिखते हैं :—

"स्वामी जी के गुजरात की तरफ तशरीफ ले जाने से आर्य समाज की कायमी का ख्याल जो बम्बई वालों के दिल में पैदा हुआ था, वह फिर ढीला हो गया था। वह अब स्वामी जी के दोबारा आने से फिर बढ़ने लगा। और आखिरकार यहां तक बढ़ा कि चन्द साहिबों ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि खाह कुछ ही हो बगैर [आर्य समाज] कायम किये हम न रहेंगे। स्वामी जी के वापिस आते ही बमाह फरवरी सन् १८७५ ई० में गिरगाम् महोल्ले में एक पब्लिक जलसा करके स्वर्गवासी राव बहादुर दादूबा पाण्डुरंग जी की प्रधानता में नियमों पर विचार करने के लिये एक सब कमेटी मुकर्रर की। लेकिन उस कमेटी में भी कई एक लोगों ने अपना यह ख्याल जाहिर किया कि अभी समाज स्थापन न होना चाहिये। ऐसा अन्तरंग

विचार होने से वह प्रयत्न भी वैसा ही रहा। और आखिर जब कई एक भद्रपुरुषों को ऐसा मालूम हुआ कि अब समाज स्थापन होता ही नहीं, तब चन्द धर्मात्माओं ने मिलकर राजमान्य राज्येश्वरी पानाचन्द आनन्द जी पारीख को नियम मुकर्रर करदा पर विचारने और दुरुस्त करने का काम सपुर्द कर दिया। जब नियम-दुरुस्तकरदा स्वामी जी ने मंजूर कर लिये बाद अजां चन्द भद्रपुरुष जो आर्य समाज कायम करना और नियमों कोबहुत पसन्द करते थे, लोकभय (खौफ दुनियाँ) की परवा न करके धर्म के मैदान में आगे हुए और चैत्रशुदी पंचमी शनिवार सम्वत् १९३२ मुताबिक १० अप्रैल सन् १८७५ ई० व २ खीउलावल सन् १२९२ हिजरी व सम्वत् १७९७ सालवाहन व सन् १२८३ फसली व माह खुरदाद सन् १२८४ फारसी व चैत २९ संक्रान्त सम्वत् १९३२ को शाम के वकत महोल्ला गिरगाम में, डाक्टर मानिक चन्द जी के बागीचे में, मिस्टर गिरधर लाल दयालदास कोठारी बी० ए०, एल० एल० बी० की प्रधानता में एक पब्लिक जलसा किया गया। जिसमें ये नियम सुनाये गये और सर्व सम्मति से प्रमाण हुए। और, उसी रोज से आर्य समाज स्थापन हुई।"

श्री पंडित लेखराम जी के इस लेख के आधार पर ही लोक में यह विचार दृढ़ और बद्धमूल हुआ है कि सर्व प्रथम आर्य समाज की स्थापना बम्बई में ही हुई थी। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना का दिन ही आर्य-पर्व-पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष आर्य समाज स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जिस समय आर्य-पर्व-पद्धति की रचना हुई थी, तब तक राज-कोट में प्रथम आर्य समाज की स्थापना का वृत्तान्त प्रकाश में ही नहीं आया था।

बम्बई में आर्य समाज की स्थापना के समय आर्य समाज के जो नियम निश्चित हुए थे, वे संख्या में अठ्ठाईस थे। उन नियमों में नियम और उपनियम मिले जुले हैं। श्री पण्डित लेखराम जी के ग्रन्थ में वे नियम पृष्ट २३५ से २३७ तक छपे हैं और श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी के ग्रन्थ 'महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र में पृष्ट २३२ से २३४ तक में मुद्रित हुए हैं।

यद्यपि महर्षि ने लाहौर में पुनरपि विचार करके बम्बई वाले अठ्ठाईस नियमों के स्थान पर नये नियम और उपनियम, आर्य पुरुषों के परामर्श से बनाकर प्रचलित कराये थे, तथापि पहिले नियम आज भी इस योग्य हैं कि आर्य-संसार उनको अपने सामने रखे। और, उनकी पूर्ति का पूर्ण प्रयास करे। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि इन नियमों की रचना तो महर्षि दयानन्द ने ही की थी; परन्तु इन की प्रवर्तना अनेक विज्ञ पुरुषों के विचार विमर्श और परिष्कार के पश्चात् ही सम्भव हो सकी थी। बम्बई के नियमों को हम महर्षि सम्मत ही कह सकते हैं, उन की स्वतन्त्र रचना नहीं। श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी कृत ग्रन्थ से हम उन अठ्ठाईस नियमों को यहां उद्धृत करते हैं:—

१—आर्य समाज का सब मनुष्यों के हितार्थ होना आवश्यक है।

२—इस समाज में मुख्य स्वतः प्रमाण वेदों का ही माना जायेगा। साक्षी के लिये वेदों के ज्ञान के लिये तथा आर्य इतिहास के लिये शतपथादि चार ब्राह्मण छः वेदांग, चार उपवेद, छः दर्शन, ग्यारह सौ सत्ताईस वेदों की शाखा वेद व्याख्यान आर्ष सनातन संस्कृत ग्रन्थों का भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायेगा।

३—इस समाज में प्रतिदेश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और अन्य समाज शाखा प्रशाखा होंगे।

४—अन्य सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल रहेगी।

५—प्रधान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत और आर्य भाषा में नाना प्रकार के सदुपदेश के पुस्तक होंगे और आर्य-प्रकाश पत्र यथानुकूल आठ-आठ दिन में निकलेगा। यह सब समाजों में प्रवृत किये जायेंगे।

६—हर एक समाज में प्रधान पुरुष और दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और स्त्री सभासद होंगे।

७—प्रधान पुरुष इस समाज की यथावत् व्यवस्था पालन करेगा और मन्त्री सबक पत्रों का उत्तर तथा

सबं के नाम व्यवस्था लेख करेगा।

८—इस समाज में सत्यपुरुष, सत्यनीति सत्याचरणी हितकारक समाजस्थ लिये जायेंगे।

९—जो गृहस्थ गृहकृत्य से अवकाश प्राप्त हो, सो जैसा घरके कामों में पुरुषार्थ करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ इस समाज की उन्नति के लिये करे और विरक्त तो नित्य ही इस समाज की उन्नति करे, अन्यथा नहीं।

१०-हर आठवें दिन प्रधान मन्त्री और सभासद् समाज-स्थान में इकट्ठे हों और सब कामों में इस काम को मुख्य जानें।

११-इकट्ठे होकर सर्वथा स्थिर चित्त हों, परस्पर प्रीति से पक्षपात, छोड़कर प्रश्नोत्तर करें, फिर सामवेदादि गान, परमेश्वर, सत्य-धर्म, सत्य-नीति, तथा सत्योपदेश के सम्बन्ध में बाजा आदि के साथ हो। और इसी विषय पर मन्त्रों का अर्थ और व्याख्यान और फिर गान हो, इत्यादि।

१२-हर एक सभासद् न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे, उसमें से आर्य समाज, आर्य विद्यालय और आर्य-प्रकाश, पत्र के प्रचार और उन्नति के लिये, आर्य समाज के धन कोष में एक प्रतिशत प्रीति पूर्वक देये से अधिक धर्मफल। इस धन का इन ही विषयों में व्यय होवे, और जगह नहीं।

१३-जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिये, जितना प्रयत्न करे, उसका उत्साह के लिये यथायोग्य सत्कार होना चाहिये।

१४-इस समाज में वेदोक्त प्रकार से हर एक स्तुति प्रार्थना और उपासना अद्वितीय परमेश्वर की ही करने में आवेगी। अर्थात् निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयालु, सर्वजगत्पिता, सर्वजगन्माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सच्चिदानन्द आदि लक्षण युक्त, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनन्तसुखप्रद, धर्मार्थकाममोक्षप्रद, इत्यादि विशेषणों से परमात्मा की ही स्तुति, उसका कीर्त्तन, प्रार्थना, उससे सर्वश्रेष्ठ कार्यों में सहाय चाहना, उपासना उसके आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना। सो पूर्वोक्त निराकारादि लक्षण वाले की ही भक्ति करनी, उसके सिवाय और की कभी नहीं करनी।

१५-इस समाज में निषेकादि अन्त्येष्टि पर्य्यन्त संस्कार वेदोक्त किये जायेंगे।

१६-आर्य विद्यालय में वेदादि सनातन आर्य-ग्रन्थों का पठन-पाठन कराया जायेगा और वेदोक्त रीति से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष और स्त्री के सुधार की होगी।

१७-इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयत्न किया जायेगा। एक परमार्थ दूसरी लोक व्यवहार। इन दोनों का शोधन और शुद्धता की उन्नति तथा सब संसार के हित की उन्नति की जायेगी।

१८-इस समाज में न्याय वही माना जायेगा, जो पक्षपात रहित अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित, सत्य-धर्म वेदोक्त होगा। इससे विपरीत को यथाशक्ति न माना जायेगा।

१९-इस समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान् सर्वत्र सदुपदेश करने के लिये समयानुकूल भेजे जायेंगे।

२०-स्त्री और पुरुष दोनों के विद्याभ्यास के लिये स्थान हर एक स्थान में यथाशक्ति अलग-अलग बनाये जायेंगे। स्त्रियों के लिये अध्यापन और सेवा प्रबन्ध स्त्रियों द्वारा ही किया जायेगा और पुरुष पाठशालाओं का पुरुषों द्वारा, इसके विरुद्ध नहीं।

२१-उन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आर्य समाज के अनुकूल पालन की जायेगी।

२२-इस समाज में प्रधान आदि सभासद् परस्पर

प्रीति के लिये अभिमान, हठ, दुराग्रह और क्रोधादि सब दुर्गुण छोड़कर, उपकार, सुहृदयता से सब से सब को निर्वैर होकर स्वात्मवत् प्रीति करनी होगी।

२३–विचार समय सब व्यवहारों में न्याय युक्त सर्वहित की जो सत्य बात भले प्रकार विचार से ठहरे, वही सब सभासदों को प्रकट करके मानी जाये। इसके विरुद्ध न मानी जाये। इसी का नाम पक्षपात छोड़ना है।

२४–जो पुरुष इन नियमों में अनुकूल आचरण करने वाला धर्मात्मा सद्गुणी हो, उसको उत्तम समाज में प्रविष्ट करना, उसके विपरीत को साधारण समाज में रखना, और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना, परन्तु यह काम पक्षपात से नहीं करना, बल्कि यह दोनों बातें श्रेष्ठ सभासदों के ही विचार से की जायें। अन्य प्रकार नहीं।

२५–आर्य समाज, आर्य विद्यालय, 'आर्य-प्रकाश' पत्र और आर्य समाज का अर्थ, धन कोष इन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधानादि सब सभासद् तन, मन और धन से सदा करें।

२६–जब तक नौकरी करने और कराने वाला आर्य समाजस्थ मिले, तब तक और की नौकरी न करे और न किसी और को नौकर रखें, वे दोनों स्वामी सेवक भाव से यथावत् बरतें।

२७–जब विवाह, पुत्र-जन्म, महालाभ, वा मरण वा कोई समय दान व धन व्यय करने का हो, तब आर्यसमाज के निमित्त धन आदि दान किया करें। ऐसा धर्म का काम और कोई नहीं है, इस निश्चय को जानकर इसको कभी न भूलें।

२८–इन नियमों में कोई नियम नया लिखा जायेगा वा कोई निकाला जायेगा वा न्यूनाधिक किया जायेगा, सो सब श्रेष्ठ सभासदों की विचार रीति से सब श्रेष्ठ सभासदों को विदित करके ही यथायोग्य करना होगा।

अपनी वैदिक-धर्म-प्रचार-यात्रा के सिलसले में महर्षि दयानन्द प्रथम बार १६ अप्रैल सन् १८७७ ई० को सायंकाल के समय लाहौर पहुँचे थे। लाहौर में महर्षि का स्वागत भी खूब हुआ और उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। अन्त में सत्य की ही विजय हुई। महर्षि को बड़ी संख्या में सत्य प्रेमी अनुयायी मिलने लगे और बड़ी तेजी के साथ पंजाब में महर्षि के सिद्धान्त और मन्तव्य सर्वप्रियता प्राप्त करने लगे। और, अब तो यह संपूर्ण संसार भली प्रकार जानता है कि महर्षि दयानन्द का पंजाब-प्रचार संसार के लिये अत्यन्त मंगल-मूल सिद्ध हुआ है। पंजाब का बच्चा-बच्चा महर्षि दयानन्द को अपना महर्षि समझता है। और मनसा, वाचा, कर्मणा, महर्षि के सिद्धान्तों, मन्तव्यों, उपदेशों और प्रणालियों का प्रचार-प्रसार कर रहा है।

महर्षि की प्रेरणा से २४ जून सन् १८७७ ई० तदनुसार जेठ सुदी त्रयोदशी सम्वत् १९३४ वि० को लाहौर शहर में भी विधिपूर्वक आर्य समाज की स्थापना हो गई। आर्य समाज लाहौर की स्थापना का उल्लेख श्री पण्डित लेखराम जी ने इन शब्दों में किया है:—

"पहिली दफा उपासना डाक्टर रहीम खाँ साहेब की कोठी में हुई और हवन भी हुआ और वहाँ ही आर्य समाज की बुनियाद रखी गई। और इसके बाद बाबू सारदा प्रसाद भट्टाचार्य ने कुछ व्याख्यान दिया। जिस के बाद स्वामी जी ने यह कहा कि अब हम को आशा बन्ध गई है कि आप सद्धर्म को अच्छी तरह चला सकेंगे।"

[जीवन-चरित्र महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती]

लाहौर में आर्य पुरुषों के परामर्श को मान कर महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज के नियमों पर पुनरपि विचार किया। और, बम्बई वाले २८ नियमों के स्थान पर आर्य समाज के इस समय प्रचलित दस नियमों तथा नियमों से पृथक् आर्य समाजों के प्रबन्ध सम्बन्धी उपनियमों को तैयार करके प्रचलित किया। उसी समय से आर्य समाज के वर्तमान दस नियमों का प्रचार और व्यवहार होता आ रहा है। ये दस नियम आर्य समाज के संगठन में वही स्थान रखते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर में मेरुदण्ड अर्थात् रीढ़ की

हड्डी का स्थान है। इन दस नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है।

महर्षि ने लाहौर में जो उप-नियम तैयार किये थे, उन में उप-नियम संख्या-४० के अनुसार यथोचित विज्ञापन देने पर आवश्यकतानुसार घटाने वा बढ़ाने की व्यवस्था भी उन्होंने रखी थी। उस व्यवस्था के अनुसार आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा ने उपनियमों में कुछ परिवर्तन २६-१-३५ को स्वीकार करवाये थे और वे ही परिवर्तित उपनियम इस समय आर्यजगत् में प्रचलित हैं। किन्तु आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आर्यसमाजों में इस समय भी वे ही पहिले अर्थात् लाहौर वाले उपनियम ही प्रचलित हैं।

यहां हम पाठकों से यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वे इस समय प्रचलित उप-नियमों तथा मूल-उपनियमों का तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें और दोनों में जो भेद है, उसको जानने का यत्न करें। तुलनात्मक रूप में नये और पुराने उपनियमों का अध्ययन एवं विचार मनोरंजक तथा लाभदायक सिद्ध होगा।

आर्य पुरुषो ! महर्षि ने हमारे लिये जिन नियमों और उप-नियमों का निर्माण किया है, उन में कुछ तो हमारे कर्तव्य हैं, और कुछ अधिकार हैं। आओ, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। कर्तव्य पालन में प्रमादी और अधिकार-प्राप्ति में उत्साही होने से तो हम निन्दा के पात्र बन जायेंगे और बन रहे हैं।

महर्षि दयानन्द द्वारा लाहौर में पुनरपि विचार करके प्रवर्तित आर्यसमाज के नियमों और उपनियमों का प्रकाशन हम आगे कर रहे हैं। यद्यपि लाहौर वाले उपनियम आजकल संशोधित रूप में प्रचलित हैं, तथापि मूल-नियमों का स्वतन्त्र और ऐतिहासिक महत्त्व बहुत अधिक है।

—सम्पादक

आर्यसमाज का इतिहास

[लेखक—श्री पण्डित हरिश्चन्द्र जी विद्यालंकार]

इतिहास एक मनोरंजक विषय है। इसके पढ़ने से बहुत सी शिक्षा प्राप्त होती है। प्रगतिशील संस्थाओं का इतिहास और भी अधिक मनोरंजक और शिक्षाप्रद होता है।

आर्यसमाज एक प्रगतिशील संस्था है। पिछली शताब्दी में अपने जन्मकाल से इसने आश्चर्यजनक उन्नति की है। इसके मित्र और शत्रु, दोनों ने इसकी उन्नति पर हर्ष प्रकट किया है। ऐसी प्रगतिशील संस्था के विकास के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा।

यह पुस्तक आर्यसमाज की प्रगति के इतिहास के प्रत्येक जिज्ञासु के काम की है। इसकी रचना ऐसी रोचक, शृङ्खलाबद्ध और साथ ही गम्भीर है, जिससे आर्य समाज की प्रगति का पूरा और सही चित्र अंकित हो जाता है। आर्यसमाज के कार्य क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये। संस्था की अब तक की प्रगति का इतिहास कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शक होता है। इसके प्रकाश में ही वे अपना अगला पग उठाते हैं। जो संस्था के भावी इतिहास का निर्माता होता है। आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुन्दर पुस्तक से पूरा लाभ उठावेगा। यह पुस्तक कई वर्षों से आर्यकुमार-परिषद् की परीक्षाओं में निर्धारित है तथा स्कूलों में लगाने एवं बच्चों को पारितोषिक में देने लायक है। मूल्य १।=)

मिलने का पता—गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, देहली

* ओ३म् *

आर्य्यसमाज के नियम

१—सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।

२—ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।

३—वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परमधर्म है॥

४—सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।

५—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहियें।

६—संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

७—सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्त्तना चाहिये।

८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।

९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।

१०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

॥ ओ३म् ॥

आर्य्यसमाज के उपनियम

—:o:—

नाम

१—इस समाज का नाम आर्य्यसमाज होगा।

उद्देश्य

२—इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं।

आर्य्य

३—जो लोग आर्य्यसमाज में नाम लिखाना चाहें और समाज के उद्देश्य के अनुकूल आचरण स्वीकार करें, वे आर्य्यसमाज में प्रविष्ट हो सकते + हैं। परन्तु उनकी अठारह वर्ष से न्यून आयु न हो।

आर्य्यसभासद्

४ क—जिनका नाम आर्य्यसमाज में सदाचार से एक वर्ष (१) रहा हो और वे अपने आय का शतांश (२) वा अधिक, मासिक, वा वार्षिक आर्य्य-समाज को दें (३) वे आर्य्यसभासद् हो सकते हैं।

ख—सम्मति देने का अधिकार केवल आर्य्य-सभासदों को होगा (४)

५—जो आर्य्यसमाज के उद्देश्य के विरुद्ध काम करेगा, वह न तो आर्य्य और न आर्य्यसभासद् गिना जावेगा।

६—आर्य्यसभासद् दो प्रकार के होंगे। एक साधारण आर्य्यसभासद् और दूसरे मननीय आर्य्य-सभासद्।

माननीय आर्य्यसभासद् वे होंगे, जो शतांश, दश रुपये मासिक, वा इससे अधिक दें, वा एक बार २५०) रुपये दें, वा जिन को अन्तरङ्गसभा विद्यादि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समझे।

साधारण सभा

७—साधारण सभा तीन प्रकार की होगी:—

१—साप्ताहिक, २—वार्षिक, ३—नैमित्तिक।

+ आर्य्यसमाज में नाम लिखाने के लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र लिखना चाहिये कि—"मैं प्रसन्नता-पूर्वक आर्य्यसमाज के उद्देश्यों के (जैसा कि नियमों में वर्णन किये गये हैं) अनुकूल आचरण स्वीकार करता हूँ। मेरा नाम आर्य्यसमाज में लिख लें।"

परन्तु अंतरङ्गसभा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतुसे उनका नाम आर्य्यसमाज में लिखना स्वीकार न करें॥

जो लोग आर्य्यसमाज में प्रविष्ट हों, वे आर्य्य कहलायेंगे।

(१) आर्य्यसभासद् बनने के लिये आर्य्यसमाजमें वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये अन्तरङ्गसभा शिथिल भी कर सकती है।

(आर्य्यसमाजमें एक वर्ष भर रहके आर्य्यसभासद् बनने का नियम आर्यसमाज के दूसरे वर्ष से काम में आवेगा)

(२) राजा सरदार वा बड़े साहूकार, आदि को आर्य्य-सभासद् बनने के लिये शतांश ही देना आवश्यक नहीं, वे एकबारगी, वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह के अनुसार दे सकते हैं।

(३) अंतरंगसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देने वाले आर्य्य को भी आर्य्यसभासद् बना सकती है।

(४) नीचे लिखी गई विशेष दशाओं में उन आर्यों की भी जो आर्यसभासद् नहीं, सम्मति ली जावेगी।

(१) जब नियमों का न्यूनाधिक वा शोधन करना हो।

(२) जब किसी विशेष अवस्था में अंतरंग सभा उनकी सम्मति लेनी योग्य और आवश्यक समझे।

साप्ताहिक साधारण सभा

८ क--यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक बार हुआ करेगी।

ख—उसमें वेदमन्त्रों का पाठ, उपासना, भजन, कीर्तन और व्याख्यान हुआ करेंगे।

ग—जो कोई समाजसम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो, वह भी उस सभा में कही जायेगी।

वार्षिक साधारण सभा

९ क—यह सभा प्रतिवर्ष एक बार नीचे लिखे प्रयोजनों के लिये हुआ करेगी:—

१—समाज के वार्षिक उत्सव करने के लिये।

२—अन्तरङ्ग सभा के प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारियों के नियुक्त करने के लिये।

३—समाज के पिछले वर्ष का वृत्तान्त सुनने के लिये।

ख—इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन एक महीना पहिले दिया जावेगा!

नैमित्तिक साधारण सभा

१० क—यह सभा जब कभी आवश्यकता हो, किसी विशेष काम के लिये नीचे लिखी हुई दशाओं में की जायेगी:—

१—जब प्रधान और मन्त्री चाहें।

२—जब अन्तरङ्ग सभा चाहे।

३—जब आर्य्यसभासदों का बीसवाँ अंश इस निमित्त मन्त्री के पास लिख कर पत्र भेजे।

ख—इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन समयानुकूल पहिले दिया जावेगा।

अन्तरङ्ग सभा

११—समाज के सब कार्य्यों के प्रबन्ध के लिये एक अन्तरङ्गसभा नियुक्त की जायेगी। और इस में तीन प्रकार के सभासद् होंगे अर्थात् (१) प्रतिनिधि (२) प्रतिष्ठित (३) अधिकारी।

१२—प्रतिनिधि सभासद् अपने-अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे, अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है।

१३—सभासदों के विशेष काम ये होंगे:—

क—अपने-अपने समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना।

ख—अपने अपने समुदायों को अन्तरङ्ग सभा के काम, जो कि प्रकट करने योग्य हों बताना।

ग—अपने अपने समुदायों से चन्दा इकट्ठा कर के कोशाध्यक्ष को देना।

१४—प्रतिष्ठित सभासद् विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक वा नैमित्तिक साधारण सभा में नियत किये जावेंगे, प्रतिष्ठित सभासद् अन्तरङ्ग—सभा में एक तिहाई से अधिक न होंगे।

१५—वर्ष के पीछे अंतरङ्ग सभा के प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जायेंगे। और कोई पुराना प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी पुनर्वार नियत हो सकेगा।

१६—जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद् वा अधिकारी का स्थान रिक्त (खाली) हो, तो अन्तरङ्ग सभा आप ही उसके स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकेगी।

१७—अन्तरङ्ग सभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है, परन्तु वह आर्यसमाज के नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो।

१८—अन्तरङ्ग सभा किसी विशेष काम के करने और सोचने के लिये, अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखने वाले और सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है।

१९—अन्तरङ्ग सभा का कोई सभासद् मन्त्री को एक सप्ताह पहले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे और वह (विषय) प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावेगा। परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरङ्ग सभा के पाँच सभासद् सम्मति दें, वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा।

२०—दो सप्ताह के पीछे अन्तरङ्ग सभा एक

बार अवश्य हुआ करेगी, और मन्त्री और प्रधान की आज्ञा से, वा जब अन्तरंग सभा के पाँच सभासद् मन्त्री को पत्र लिखें, तो भी हो सकती है।

अधिकारी

२१—अधिकारी पाँच प्रकार के होंगे :-

(१) प्रधान, (२) उपप्रधान, (३) मन्त्री, (४) कोषाध्यक्ष, (५) पुस्तकाध्यक्ष।

२२—मन्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष इनके अधिकारों पर आवश्यकता होने से एक से अधिक पुरुष भी नियत हो सकते हैं, और जब किसी अधिकार पर एक से अधिक पुरुष नियत हों, तो अन्तरंग सभा उन्हें काम बाँट देगी।

प्रधान

२३—प्रधान के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे :—

१—प्रधान अन्तरङ्ग सभा और समाज का और सब सभाओं का सभापति समझा जावेगा।

२—सदा समाज के सब कामों के यथावत् प्रबन्ध करने में और सर्वथा समाज की उन्नति और रक्षा में तत्पर रहेगा, समाज के प्रत्येक कामों को देखेगा कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलेगा।

३—यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो, तो उसका यथोचित प्रबन्ध उसी समय करेगा। और उसके बिगड़ने में उत्तरदाता वही होगा।

४—प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का, जिन्हें कि अन्तरङ्ग सभा संस्थापन करे, सभासद् होगा।

उपप्रधान

२४—उपप्रधान, प्रधान के अनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होगा। यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों, तो सभा की सम्मति अनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावेगा।

परन्तु समाज के सब कामों में प्रधान को सहायता देनी, उसका मुख्य काम होगा।

मन्त्री

२५—मन्त्री के नीचे लिखे गये अधिकार और काम होंगे :—

१—अन्तरङ्ग सभा की आज्ञानुसार समाज की ओर से सबके साथ पत्र व्यवहार रखना, और समाज सम्बन्धी चिट्ठी और सब प्रकार के विशिष्ट पत्रों को सम्भाल कर रखना।

२—समाज की सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही उसको वृत्तान्त पुस्तकमें लिखना वा लिखवा देना।

३—मासिक अन्तरङ्ग सभाओं में उन आर्यों वा आर्यसभासदों के नाम सुनाया करना, जो पिछली मासिक सभा के पीछे आर्य्यसमाज में प्रविष्ट हुए हों वा उससे पृथक् हुए हों।

४—सामान्य प्रकार से समाज के भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना, और समाज के नियम उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना।

५—पाठशाला की उपसभा के आज्ञानुसार पाठशाला का सामान्य प्रकार से प्रबन्ध करना।

६—इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक आर्य सभासद् किसी न किसी समुदाय में हो, और इसका कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अन्तरङ्ग सभा में प्रतिनिधि दिया हो।

७—पहिले विज्ञापन दिये जाने पर माननीय पुरुषों को सभा में सत्कार पूर्वक बैठना।

८—प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना।

कोषाध्यक्ष

२६—कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे :—

१—समाज के सब आय धन का लेना, उसकी रसीद देना और उसको यथोचित रखना।

२—किसी को अन्तरङ्ग सभा की आज्ञा विना रुपया न देना, वरन मन्त्री और प्रधान को भी उस परिमाण से जितना कि अन्तरङ्ग सभा ने उनके लिये नियत किया हो, अधिक न देना। और उस धनके उचित व्यय के लिये वही अधिकारी जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होगा।

३—सब धन के आय व्यय का रीति पूर्वक बहीखाता रखना, और प्रतिमास अन्तरङ्ग सभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना।

पुस्तकाध्यक्ष

२७—पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और काम ये होंगे पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक और विक्रेय पुस्तक हों उन सबकी रक्षा करे, और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब किताब रक्खे, और पुस्तकों के लेने, देने, मंगवाने और बेचने का काम भी करे।

मिश्रित

२८—सब आर्य्य सभासदों की सम्मति पत्रद्वारा निम्नलिखित दशाओं में ली जायगी:—

१—जब अन्तरंग सभा का यह निश्चय हो कि समाजकी भलाई के लिये किसी साधारण सभाके सिद्धान्त पर निर्भर न करना चाहिये, वरन सब आर्य्य सभासदों की सम्मति जाननी चाहिये।

२—जब सब आर्य्य सभासदोंका बीसवां वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिख कर भेजे।

३—जब बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी, वा नियम वा व्यवस्थासम्बन्धी कोई मुख्य प्रस्ताव करना हो; अथवा जब अन्तरङ्गसभा सब आर्य सभासदोंकी सम्मति जाननी चाहे।

२९—जब किसी सभा में वा थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो, तो उसके स्थान में उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरंग सभा नियत कर सकती है।

३०—किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न किया जावे, तो जब तक उसके स्थान पर कोई और नियत न किया जाय, वही अधिकारी अपना काम करता रहेगा।

३१—सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करेगा और उसको सब आर्य्यसभासद् देख सकेंगे।

३२—सब सभाओं का काम तब आरम्भ होगा, जब एक तिहाई सभासद् उपस्थित हों।

३३—सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित होंगे।

३४—आय का दशांश समुदाय धन में रक्खा जावेगा।

३५—सब आर्य्य और आर्य्यसभासदोंको संस्कृत वा आर्य्य भाषा (हिन्दी) जाननी चाहिये।

३६—सब आर्य्य और आर्य्यसभासदों को उचित है कि लाभ और आनन्द के समय समाज पर भी दृष्टि रक्खें।

३७—सब आर्य्य और आर्य सभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करें और आनन्द उत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों। और छोटाई बड़ाई न गिनें।

३८—कोई आर्य्य भाई किसी हेतु से अनाथ हो जावे वा किसी की स्त्री विधवा वा सन्तानअनाथ हो जावे अर्थात् उसका किसी प्रकार जीवन न हो सकता हो और यदि आर्यसमाज इसको निश्चित जान ले, तो आर्य समाज उसकी रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे।

३९—यदि आर्य्यसमाज में किसी का आपस में झगड़ा हो तो उनको योग्य होगा कि वे उसको आपस में समझ लें वा आर्य्य समाज की न्यायउपसभा द्वारा उसका न्याय करा लें।

४०—यह उपनियम वर्ष पीछे यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे वा बढ़ाये घटाये जा सकते हैं। इति॥